बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–.................

सं०सं०–02/टैक्स माफी–66/2003 परि०................/सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला **स्वास्थ्य समिति**, सुपौल द्वारा टाटा विंगर एम्बुलेंस के निबंधन करने हेतु जिला परिवहन कार्यालय, सुपौल में आवेदन दिया गया था कि उक्त एम्बुलेंस माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद्, डॉ0 संजीव कुमार सिंह के द्वारा अनुशंसित विधायक निधि से क्रय की गयी है जिसके आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल ने अपने पत्रांक–07, दिनांक–16.01.2017 द्वारा उक्त कार्यालय के वाहन की अस्थायी निबंधन (TR) की वैधता **की समाप्ति होने के कारण कुल विलंब शुल्क–54,134.00 (चौवन हजार एक सौ चौतीस) रूपये के माफी किये जाने हेतु अनुशंसा की गयी है।**

जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल के पत्र की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत उक्त कार्यालय के वाहन को कल्याणकारी कार्य हेतु प्रयुक्त किये जाने के कारण बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–15 एवं धारा–23 के परन्तुक की प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, सुपौल के पदनाम से क्रय की गयी टाटा विंगर एम्बूलेंस, जो स्थानीय विधायक द्वारा विधायक निधि से क्रय करवाई गयी है, के कुल कर 54,134.00 (चौबन हजार एक सौ चौतीस) रुपये के विमुक्ति इस शर्त के साथ दिया जाता है कि इस एम्बुलेंस का वाणिज्यक उपयोग नही किया जायेगा एवं रोगियों को इसकी सेवा निःशुल्क दी जाय, यदि इसका वाणिज्यक उपयोग होते पाया जायेगा तो पूर्ण कर एवं अर्थदण्ड की राशि निबंधन की तिथि से वसूलनीय होगी। उपर्युक्त कार्यालय के **वाहन से संबंधित विवरणी निम्नलिखित है :–**

Sl. No.	Type of Vehicle	Engine Number	Chassis Number	Amount Of Road Tax
1	TATA WINGER AMBULANCE	483DLTC55HT YJ12496	MAT460124GUH04107	Rs. 54,134.00
	TOTAL			**Rs. 54,134.00**

जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त कार्यालय के वाहन का क्रय पदनाम से किया गया है। अतः इसका निबंधन सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, सुपौल के पदनाम से किया जाये।

ह0/–
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

निबंधित

E-mail

ज्ञापांक–02/टैक्स माफी–66/2003 परि0 2486 पटना, दिनांक– 5/5/17

प्रतिलिपि– जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल/ सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

E: